कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी पत्रांक 1916 / ५२८ मंझनपुर, दिनांक अप्रैल <u>१</u>, 2023 _{सेवा में,}

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड (लो०नि०वि०) प्रायागराज।

विषय-Regarding FRA certificate for Forest Clearance Proposal for Proposed Protected Forest Land to be diverted for Construction of 4-lane green field highway from Km. 49.155 to Km. 74.700 (Singraur Uparhar to baranpur Kadipur Ichauli) Crossing on NH-731A on Hybrid Annuity Mode in District: Kaushambi (Uttar Pradesh).

संदर्भ– नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 3075/11–सी– FP/UP/Road /153349 /2022 Lucknow दिनांक 27.03.2023। महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भगत पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण मे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

- It is not Clear from the proposal that what is the status of widening before and after proposed aligment. This need clarification.
- As per KML file some parts of road side PF are not demareated and included as Forest. This needs rectification.
- Single SOI Toposheet has been uploaded on parivesh portal. Adjacent 63G/6 Toposheet also needs to be uploaded.
- Details of existing ROW proposed ROW and land width (ROW) availablability of roadside plantation needs to be submitted and according plantation scheme for roadside palantion need to submitted
- 5. NOCs from concerned department need to be submitted.
- When the existing road was constructed, related documents needs to be submitted. भवदीय

(आर०एस० यादव) प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन, प्रभाग, कौशाम्बी

संख्या / समदिनांक।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (आर०एस० यादव) प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी